

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./ओरिगो कमोडिटी/647/2935 भोपाल, दिनांक 13/07/2023

प्रति,

- 1 Origo Commodities India Pvt.Ltd,
FK-06, First Floor, Somdatt Chamber-1,5,
Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110066
- 2 Origo Commodities India Pvt.Ltd ,
House No-3, Sharvan Homes,
Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023

विषय:-म. प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम 2009 (यथा संशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- मेसर्स ओरिगो कमोडिटी इंडिया प्रा.लि. का आवेदन दिनांक 09/11/2021

M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ मध्यप्रदेश की कृषि उपज मण्डी समिति शाजापुर, सांरगपुर, अकोदिया, जावर, उदयपुरा, गुना, सागर, नीमच, बडनगर, धार, इटारसी, पिपरिया, विदिशा, भोपाल एवं आगर-मालवा के मंडी प्रांगण एवं उपमंडी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन" के क्रय हेतु अनुमति चाही गई है।

2 M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal के द्वारा विनिर्दिष्ट मंडियों में खरीदी हेतु प्रतिभूति स्वरूप रूपर 17 लाख की सीएसबी बैंक लि. की बैंक गारंटी दिनांक 22/10/2021 मंडी बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। जिसकी वैधता अवधि दिनांक 21/10/2024 तक है।

3 M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal को उक्त मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय से संबंधित विक्रेता के साथ रूप-पांच में करार, प्ररूप-छ: विक्रय बाउचर तथा मंडी समिति के कार्यालय में, क्रय-विक्रय से संबंधित प्ररूप-सात में पाक्षिकी विवरण, प्ररूप-आठ में दैनिक क्रय विवरण, उपाबंध-एक अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय/निर्गमन के संबंध में, उपाबंध-दो में पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Letter 2023

4 नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 (दो) में एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय हेतु मंडी का नाम का विवरण देना प्रावधानित है, जिसके अनुसार M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal द्वारा समय-समय पर कृषि उपज के खरीदी/विक्रय के स्थान की मंडी बोर्ड एवं संबंधित मंडी समितियों को यथासमय जानकारी उपलब्ध करवाई जाये।

5 आवेदक को मण्डी अधिनियम, नियम, 2009 एवं उपविधि के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर व्यापार के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

6 नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal को कृषि उपज मंडी प्रांगण शाजापुर, सांरगपुर, अकोदिया, जावर, उदयपुरा, गुना, सागर, नीमच, बडनगर, धार, इटारसी, पिपरिया, विदिशा, भोपाल एवं आगर-मालवा में अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के क्रय-विक्रय के लिए, अनन्तितम रूप से एक वर्ष के लिये यह विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार


(गौतम सिंह)

प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./बी-6/नियमन/वि.अनु./ओरिगो कमोडिटी/647/2936

भोपाल,दिनांक 13/07/2023

प्रतिलिपि :-

- 1 संयुक्त/उप संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/ उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4 में उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण में विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।
- 2 सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, जिला. म. प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal को नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विशेष अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे।
- 3 सहायक संचालक (आई.टी.) म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी M/S Origo Commodities India Pvt.Ltd Bhopal को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल में आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक
मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/16 दिनांक 13/07/2023

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स **Origo Commodities India Pvt.Ltd New Delhi, (House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023)** को अधिनियम की धारा-32 क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख13 माह जुलाई वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है:-

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1.	"धान्य तथा दलहन"	शाजापुर	कृषि उपज मंडी समिति शाजापुर जिला शाजापुर	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
2.	"धान्य तथा दलहन"	सारंगपुर	कृषि उपज मंडी समिति सारंगपुर जिला राजगढ	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
3	"धान्य तथा दलहन"	अकोदिया	कृषि उपज मंडी समिति अकोदिया जिला शाजापुर	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701

4	"धान्य तथा दलहन"	जावर	कृषि उपज मंडी समिति जावर जिला सीहोर	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
5	"धान्य तथा दलहन"	उदयपुरा	कृषि उपज मंडी समिति उदयपुरा जिला रायसेन	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
6	"धान्य तथा दलहन"	गुना	कृषि उपज मंडी समिति गुना जिला गुना	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
7	"धान्य तथा दलहन"	सागर	कृषि उपज मंडी समिति सागर जिला सागर	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
8	"धान्य तथा दलहन"	नीमच	कृषि उपज मंडी समिति नीमच जिला नीमच	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
9	"धान्य तथा दलहन"	बडनगर	कृषि उपज मंडी समिति बडनागर जिला उज्जैन	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
10	"धान्य तथा दलहन"	धार	कृषि उपज मंडी समिति धार जिला धार	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
11	"धान्य तथा दलहन"	इटारसी	कृषि उपज मंडी समिति इटारसी जिला होशंगाबाद	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701

12	“धान्य तथा दलहन”	पिपरिया	कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला होशंगाबाद	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
13	“धान्य तथा दलहन”	विदिशा	कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
14	“धान्य तथा दलहन”	भोपाल	कृषि उपज मंडी समिति भोपाल जिला भोपाल	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701
15	“धान्य तथा दलहन”	आगर-मालवा	कृषि उपज मंडी समिति आगर-मालवा जिला आगर मालवा	-	Origo Commodities India Pvt.Ltd ,House No-3, Sharvan Homes, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (M.P.)-462023	श्री धरमवीर सिंह चौहान मो.नं- 9109101701

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मीट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए})
1	“धान्य तथा दलहन”	2000 मे०टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर


8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ...13.../07/2023 से 12/07/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी।

5 यह अंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी:-

- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
- (दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
- (तीन) मण्डी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
- (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
- (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियों प्रस्तुत न करने पर,
- (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर




 अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
कार्यालय
 अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
 मध्य प्रदेश ग्राम्य संचालित विपणन बोर्ड
 न.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
 भोपाल (म.प्र.)